Dr. Seema Kumari, Asst. Prof. (Pol. Sc.), RMC, VKSU
BA-2, Paper-3, GCP
Date - 03.02.2022

राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां — legislative powers

अनु० 85, 86, 87, इत्यादि।

- राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकता है एवं सत्रावसानकर सकता है। • लोकसभा का विघटन कर सकता है एवं संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करता है।
- प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन और प्रत्येक नए चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर सकता है।
- संसद के लंबित किसी विधेयक के संदर्भ में संसद को संदेश भेजने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है।
- राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद रिक्तता की स्थिति में सदन के किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंप सकता है।
- संसद के कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। जैसे - किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन अथवा नए राज्यों के गठन के लिए बिल, ऐसा विधेयक जिसके अधिनियमित किए जाने पर, भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़े, ऐसे कराधान से संबंधित विधेयक जिनसे राज्यों का हित जुड़ा हो, जिनसे कृषि आय की परिभाषा में परिवर्तन आता हो, धन वितरित किया जाता हो, राज्यों के विधेयक जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हों।

Scanned with CamScanner

- यदि कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह उसे स्वीकृति दे सकता है या अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है।
- पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है।
- राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है।

अन्य विधायी कार्य :— 1. नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग व अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखना। 2. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर एवं नगर हवेली, दमन दीव में शांति, सुशासन व विकास के लिए विनियम भी बना सकता है।

- वित्तीय शक्तियां :— • धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है।
- राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि का प्रयोग किसी अप्रत्याशित स्थिति के लिए कर सकता है।
- वार्षिक वित्तीय विवरण (केंद्रीय बजट) को संसद के समक्ष रखना।
- अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है।

→

Scanned with CamScanner